

# राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर – 302018

## Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur - 302018

Website: www.rsmssb.rajasthan.gov.in

Tel.: 0141-2722520

#### श्रुतलेखक (SCRIBE) के संबंध में दिशा-निर्देश (संशोधित)

बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगजन/विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है-

1. अभ्यर्थी स्वयं का श्रुतलेखक ला सकते हैं:--

1.1. स्वयं का श्रुतलेखक लाने वाले अभ्यर्थी श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में जांच ले कि उनके द्वारा लाया गया श्रुतलेखक बोर्ड द्वारा श्रुतलेखक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है।

1.2. श्रुतलेखक को फोटों पहचान पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की प्रतिलिपि तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थों द्वारा वचन-पत्र केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा एवं केन्द्राधीक्षक उसका परीक्षण करेगा।

1.3. अभ्यर्थी को नियमानुसार जारी दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी केन्द्राधीक्षक को परीक्षा दिवस से कम से कम एक दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

2. बोर्ड के माध्यम से:-

(A) केन्द्राधीक्षक से अनुरोध कर:— अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा से 02 दिवस पूर्व वांछित चिकित्सा प्रमाण-पत्रों सहित केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर श्रुतलेखक की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही केन्द्राधीक्षक द्वारा श्रुतलेखक की व्यवस्था की जायेगी। अत अभ्यर्थी उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(B) बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध श्रुतलेखक पैनल का प्रयोग कर:- पैनल के माध्यम से श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी को परीक्षा से 02 दिवस पूर्व बोर्ड से संपर्क करना होगा। जिला प्रशासन / परीक्षा समन्वयक द्वारा जिलेवार उपलब्ध पैनल में पंजीकृत श्रुतलेखकों को आवश्यकतानुसार श्रुतलेखक के रूप में कार्य करने हेतु मनोनीत किया जायेगा।

# श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन /विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के संबंध में दिशा-निर्देश:-

1. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के समय श्रुतलेखक संबंधी विकल्प का चयन करना होगा। उक्त विकल्प का चयन नहीं किये जाने पर श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

2. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वांछित दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र, वचनपत्र (Appendix-A) एवं श्रुतलेखक का वचनपत्र (Appendix-B) भरकर केन्द्राधीक्षक को प्रस्तुत करना होगा। श्रुतलेखक के फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण की स्वसत्यापित प्रतिलिपि

केन्द्राधीक्षक को देनी होगी।

3. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(r) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यजन की (40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता) दृष्टिबाधित (Blindness), लोकोमोटर डिसेबिलिटी (दोनो हाथों की निःशक्तता- Both Arms) एवं सेरेबरल पाल्सी (Cerebral Palsy) श्रेणी वाले अभ्यर्थी द्वारा चाहने पर दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। उक्त श्रेणी के अलावा Section- 2(r) के तहत् परिभाषित अन्य श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित प्रमाण-पत्र (Appendix-C) एवं दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी।

4. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2(s) के तहत् परिभाषित विशेष योग्यंजन की (40 प्रतिशत से कम निःशक्तता) श्रेणी के मामले में लेखन कार्य में असमर्थता के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक से अनुमोदित्त प्रमाण-पत्र (Appendix-D) एवं दिव्यांगता का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर श्रुतलेखक की सुविधा दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम दो दिवस पूर्व समस्त प्रमाण पत्रों के साथ बोर्ड से सम्पर्क करना होगा अन्यथा श्रुतलेखक की सुविधा देय नहीं होगी।

5. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करते हैं, उन्हें परीक्षा समय के अतिरिक्त 20

मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जायेगा।



6. ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो उपर्युक्त बिन्दु संख्या 03 व 04 के अन्तर्गत श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के लिये पात्र है, किन्तु श्रुतलेखक की सुविधा नहीं लेते हैं, उन्हें भी मांग किये जाने पर परीक्षा समय के अतिरिक्त 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूरक समय दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को क्षतिपूरक समय प्राप्त करने के लिये परीक्षा दिनांक से कम से कम एक दिवस पूर्व केन्द्राधीक्षक को प्रार्थना-पत्र, वांछित दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र एवं वचनपत्र (Appendix-E) प्रस्तुत करना होगा।

7. श्रुतलेखक हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (विज्ञापनानुसार) निम्नानुसार है:--

परीक्षा के लिए विज्ञापननुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक	श्रुतलेखक की शैक्षणिक योग्यता
याग्यता जिसका अभ्यथी परीक्षाथी है	
(क) स्नातकोत्तर उपाधि	अधिकतम स्नातक
(ख) स्नातक उपाधि	अधिकतम द्वितीय वर्ष एवं स्नातक
	अध्ययनरत
(ग) सीनियर सैकण्डरी	अधिकतम सैकण्डरी
(घ) सैकण्डरी	उच्च प्राथमिक

8. अभ्यर्थी जिस विषय में परीक्षा दे रहा हो, उसे उसी विषय के श्रुतलेखक की सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी भाषायी संबंधी विषयों यथा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, राजस्थानी व सिंधी हेतु उसी विषय के

श्रुतलेखक की सेवाएं दी जा सकती है।

9. श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने के संबंध में किसी प्रकार का गलत तथ्य / प्रमाण प्रस्तुत करने पर बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में विवर्जित (Debarment) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

10. ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थायी रूप से असमर्थ हुए है, को श्रुतलेखक

की सुविधा देय नहीं होगी।

11. बोर्ड द्वारा श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान प्रति सत्र 100 रूपये की दर से किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का श्रुतलेखक लाने पर श्रुतलेखक को पारिश्रमिक का भुगतान बोर्ड द्वारा नहीं किया जायेगा।

12. श्रुतलेखक द्वारा अभ्यर्थी को प्रश्न बॉलकर बताया जायेगा एवं श्रुतलेखक उत्तरपुस्तिका में अभ्यर्थी द्वारा बोलकर बताये अनुसार ही उत्तर लिखेगा तथा स्वयं के मन से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखने के लिए बाध्य होंगे। केन्द्राधीक्षक गहन निगरानी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक सुविधा का कोई दुरूपयोग नहीं किया जा रहा है।

13. बोर्ड द्वारा केन्द्राधीक्षक को उपलब्ध करवाई जाने वाली श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूची ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरे गये विवरण के आधार पर तैयार की गई है। अतः बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में केन्द्राधीक्षक चिकित्सा प्रमाण-पत्रों की जांच कर लेवें तथा उन्हीं

दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक उपलब्ध करवाया जावें, जो इसके लिये पात्र हैं।

14. बोर्ड की परीक्षाओं से विवर्जित (Debarred) अभ्यर्थी को श्रुतलेखक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

Section-2(r) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:- "Person with benchmark disability" means a person with not less than fourty percent of a specified disability whre specified disability has not been defined in measurable terms and included a person with disability has been defined in measurable terms, as certified by the certifying authority.

Section-2(s) of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016:- "Person with disability" means a person with long term physical, mental, intellectual or sensory impairment which, in interaction with barriers, hinders his full and effective

participation in society equally with others.

नोट- स्वंय का श्रुतलेखक लाने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन पश्चात सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर अथवा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में निर्धारित दिव्यांगता साबित नहीं होने पर अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

Annexure-A,B,C,D,E संलग्न हैं। (तथा बोर्ड की मार्गदर्शिका में अंतिम पृष्ठों पर उपलब्ध हैं)

#### **Undertaking by Candidate for using Scribe**

Latest Photograph of Scribe (Showing face only )duly Attested by the center superintendent

1.	IS/o/D/o a candidate with
	(nature of disability/condition) appearing for the
	(name of the examination) bearing Roll Noat
	(name of the center) in the District, Rajasthan.
	My educational qualification is
2.	I do hereby state that(name of the scribe)
	S/o/D/oa resident of
	(Village/District/State) will provide the service of scribe for the
	undersigned for taking the aforementioned examination.
3.	I do hereby undertake that Scribe's qualification is In case, subsequently it
	is found that his qualification is not as declared by the undersigned and as decided by the RSSB,
	Jaipur, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.
4.	I am not debarred in any examination from RSSB, Jaipur or any other examination body.
5.	In case any of the above information is found wrong then I will be responsible for all
	consequence as per rule.
	(Signature of the candidate)
	VED VELCATION
	VERIFICATION
I	verify that the information provided by the candidate has
	en Checked as per the original document of the candidate.
	(Signature of Center Superintendent)
pla	ace:
Da	ate:
NT.	The Windle August and august a source of Madical Confederation and another analysis and finding
	ote: Kindly Attach self attested copies of Medical Certificate and scribe qualification with this indertaking.

resident

## **Undertaking by Scribe**

Latest Photograph of Scribe Showing face only duly Attested by the center superintendent

1.	I .				S/o/D	/o		_ ;	a	re	esident
	of					District/State	*				
		_(name				/D/o					
						mination) a					
	center) in	the	District			Rajasthan	. My	education	nal qu	alificati	on is
2.	I do hereby	under	take tha	at my q	ualificat	on is		In ca	se, sub	sequent	ly it is
	found that i	ny qua	alificati	on is no	ot as de	clared by th	e unde	ersigned an	nd as d	ecided	by the
	Rajasthan St	aff sel	ection I	Board, Ja	ipur the	n RSSB Boa	ard can	take action	n as per	rules.	
3.	I am not deb	arred i	n any e	xaminat	ion from	RSSB, Jaip	ur or a	ny other ex	kaminat	ion bod	y.
4.	In case any					•			_		
	future exam act against n			ucted Ra	ajasthan	Staff select	ion Bo	ard, Jaipu	c and th	ne Boar	d shall
						(	Signati	are of the S	Scribe)		
						(	Signan	ire or the c	(CITOC)		
				VI	ERIFIC	ATION					
I			verif	y that th	e inforn	nation provi	ded by	the scribe	has be	en chec	ked as
	e original do					1	,				
							2.0	. ~			
						(Signatur	e of Ce	enter Super	intende	ent)	
Place											
Date:											
Note:	Attach a cop	y of Ed	ducation	ı Qualifi	cation C	ertificate &	Photo	Identity Pr	oof of	Scribe	with
	Indertaking.	-						-			

## Certificate regarding physical limitation of examinee to write

Latest Photograph of Candidate (Showing face only) duly Attested by undersigned medical officer

This is to certify that I have examined Mr/Ms/Mrsname of
the candidate with disability), a person with(nature
and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o
resident of(Village/District/State) and to state
that he/she/ has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.
Signature
Chief Medical Officer/Medical Superintendent of a
Government health care institution
Name & Designation
Name of Government Hospital/Health Care Center with Seal
Place:
Date:

Note: Certificate should be given by an authorised specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual

impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability- Orthopaedic specialist/PMR)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less

Latest Photograph of Candidate (Showing face only) duly Attested by undersigned medical officer

4	400/	1. 1.1.			1.00		• . •
thon	/111/0	dicability	7 9 n c	hamna	difficult	TT/ In	writing
шап	TU / U	disability	anu	Having	unincui	LV III	WILLIE

1.	1. This is to certify that we have examined Mr/Ms/Mrs									
	(name of the candidate), S/o /D/o, a resident									
	(Vill/PO/PS/District/State), age									
	yrs, a person with (nature of disability/condition),									
	and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above									
	condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.									
2.										
				•	at the examination with the					
	assistance of			11						
2										
3.					examinations conducted by					
				•	(it is valid for					
	_	riod of six months or l	ess as may be certific	ed by the medical	authority)					
	Signature of	medical authority								
(Si	gnature &			(Signature &						
	Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	Name)	(Signature & Name)					
	opaedic/	Clinical	Neurologist	Occupational	Any other Expert based					
	*	Psychologist/	(if required)	therapist	on the condition of the					
PMR specialist		Rehabilitation	(II required)	(if required)	candidate, as nominated					
		Psychologist/Psych		(II required)	by the Chairperson					
		iatrist / Special			by the Champerson					
		Educator								
		Laucator								
(Sig	(Signature & Name)									
	Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical OfficerChairperson									
		intelligible of the state of th	noi Dionier intentent		mp vison					

Name of Government Hospital/Health Care Center with Seal

Place: Date:

#### **Undertaking by Candidate for availing only Compensatory Time**

Latest Photograph of Candidate

				(Showing only) duly At by the ce superinten	tested nter		
1.	IS/o	o/D/o			_ a ca	ndidate	with
	(1	nature of	disability	condition)	appeari	ing for	r th
			(nan	ne of the exa	minatior	n) bearing	g Roll
	No at						
	(name of the center) in the District	, Rajast	han.				
2.	I do hereby undertake that I am eligib	le for avail	ing Compe	ensatory Tim	e for a	forement	ioned
	examination according to RSSB, Jaipur g	uidelines. In	case, subs	sequently it is	s found	that I ar	n not
	eligible for the same, I shall forfeit my right	t to the post a	and claims a	relating theret	0.		
3.	In case any of the above information is for	ınd wrong th	en I will be	e responsible	for all c	onsequer	ice as
	per rule.						
				(Signatu	ire of the	e candida	.te)
	V	ERIFICAT	ION				
I	verify tha	t the inform	nation prov	vided by the	candid	ate has	been
checke	ed as per the original document of the candid	ate.					
			(	Signature of (	Center S	unerinten	ident)
				orginature or v	Jenier B	арегинен	acit;
Place:							
	Kindly Attach self attested copies of Medica	l Certificate a	and other re	lated docume	nt applic	cable as p	er

No rule.